संख्या:2/2021/04/33-3-2021-4/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज विभाग-3 **लखनऊ दिनांक- 15 जनवरी, 2021**

विषय:- क्षेत्र एवं जिला पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र एवं समेकित विकास हेतु क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार पंचायतीराज मंत्रालय के पत्र संख्या-एम0-11015/ 365/2020 एफ0डी0, दिनांक-11.11.2020 द्वारा क्षेत्र एवं जिला पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु **"क्षेत्र तथा जनपद विकास योजना (Block and District Development Plan- BDDP)"** बनाये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ की जाने वाली गतिविधियों में समानता लाने हेतु भारत सरकार द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम/क्षेत्र/जिला) को निर्धारित अनुपात में अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी जिला और क्षेत्र पंचायतों को सक्षम बनाने के लिये भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर सभी राज्यों से साझा किये गये है।

वर्तमान व्यवस्था में ग्राम पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदान राशि को व्यय करने से पूर्व ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) बनाया जाना अनिवार्य किया गया है। उसी क्रम में सभी राज्यों के जिला/क्षेत्र पंचायतों के लिये भी आवश्यक है कि वह अपनी वार्षिक कार्ययोजना को भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देश में वर्णित प्रावधानों के अनुसार तैयार करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी बदलाव की दिशा में त्वरित, बहुआयामी और आवश्यकता केन्द्रित एकीकृत विकास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

योजनाओं के रुप में क्रियान्वित किये जाने हेतु क्षेत्र पंचायत विकास व जिला पंचायत विकास कार्य योजना तैयार की जाए।

1- <u>क्षेत्र एवं जिला विकास योजना का महत्व</u>

ग्राम पंचायतें मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा सुविधा और संस्थागत क्षमता की दृष्टि से अपनी सीमाओं के कारण केवल छोटी गतिविधियों की योजना बना सकती है, जिनका क्रियान्वयन और निगरानी उनके लिये संभव हो। जबकि क्षेत्र पंचायतें मानव शक्ति, बुनियादी ढांचा और संस्थागत क्षमता की दृष्टि से अपने क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने की योजना तैयार कर सकती हैं। योजना बनाते समय वे उन गतिविधियों को नज़रअंदाज कर सकती है जिन गतिविधियों को उनके क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी कार्ययोजना में किया जा सकता है।

जिला पंचायत मानव शक्ति और संस्थागत क्षमता की दृष्टि से अपनी बेहतर स्थिति के कारण मध्यम से बड़ी गतिविधियों को लागू कर सकती है जिनका क्रियान्वयन और निगरानी उनके स्तर पर संभव हो। योजना बनाते समय वे जिले की उन आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकती हैं जिनका समाधान ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र की योजना में नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिये उन गतिविधियों की योजना बनाना और लागू करना आवश्यक हो जाता है जो क्षेत्रीय रूप से दो या अधिक ग्राम पंचायतें कवर करती है। इसी प्रकार जिला पंचायत के लिये उन गतिविधियों का क्रियान्वयन आवश्यक हो जाता है जो क्षेत्रीय रूप से दो या अधिक विकास खण्डों को आच्छादित करती है।

2- <u>क्षेत्र एवं जिला विकास योजना का उद्देश्य-</u>

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243जी. के प्रावधानों का उद्देश्य पंचायतों को अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायत के तीनों स्तरों को सशक्त बनाने हेतु सक्षम किया जाना है। इनमें कर लगाने का अधिकार एवं पंचायतो के लिए कोष के प्रावधान भी सम्मिलित है।

पंचायतीराज संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने का दायित्व अनिवार्य रुप से सौंपा गया है।

जिला योजना समितियों को सभी पंचायतों द्वारा तैयार योजनाओं को समाहित कर जिला विकास योजना तैयार करने का दायित्व दिया गया है। वर्ष 2018-19 में सबकी योजना, सबका विकास थीम के अन्तर्गत जन योजना अभियान से जी0पी0डी0पी0 की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। 15वें वित्त आयोग द्वारा क्षेत्र पंचायतों व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जिला पंचायतों को अनुदान उपलब्ध कराने के साथ विकेन्द्रीयकृत योजना और सुदृढ़ होगी।

3- <u>क्षेत्र एवं जिला विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया:-</u>

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत योजनाओं की तैयारी हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

1. क्षेत्र पंचायतों में समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों, विकास खण्ड क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्यों एवं समस्त ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों/प्रधानों की बैठक आयोजित की जायेगी, इस बैठक को ब्लाक सभा कहा जायेगा।

2. ब्लाक सभा की बैठक निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा ब्लाक स्तर पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, अनुदेशक स्वयं सहायता समूह परिसंघों के नेता भी प्रतिभाग करेंगे।

3. जिला पंचायतों में सभी जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों/प्रमुखों, ग्राम प्रधानों एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की बैठक जिला योजना में शामिल प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई जायेगी।

4. क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के परियोजनागत प्रस्ताव जिन्हें योजना में सम्मिलित किया जाना है, निर्धारित प्रपत्र में तैयार किये जाये। क्षेत्र पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियों पर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना के आधार पर और जिला पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियों पर जिले की क्षेत्र पंचायतों की कार्ययोजना के आधार पर विचार विमर्श करने के उपरान्त निर्णय लिया जाए।

5. उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र एवं जिला पंचायतों द्वारा अपनी विकास योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों/विषयों को प्राथमिकता दिया जा सकता है:-

- विकासात्मक आवश्यकताओं पर केंद्रित योजना।
- दो से अधिक ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत को लाभ पहुंचाने वाले कार्य।
- सामाजिक योजना को परियोजना का अनिवार्य हिस्सा बनाना।
- स्त्री-पुरूष समानता के प्रति जिम्मेदार योजना।
- सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal-SDG) का स्थानीयकरण।
- स्वच्छता, जल आपूर्ति, खेल के मैदान, पार्क आदि जैसी बुनियादी सेवाओं पर ज़ोर देना।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- जिला तथा क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए बुनियादी ढांचे का विकास और रख-रखाव।
- आर्थिक विकास, आय में वृद्धि और गरीबी उपशमन।
- ई-सक्षमता।
- नवीकरणीय ऊर्जा आदि महत्वपूर्ण योजनाओं को सम्मिलित करने की समुचित प्राथमिकता दी जाए।

4- <u>क्षेत्र एवं जिला विकास योजना की सहयोगी प्रणालियां</u>

- **<u>संसाधन संचय व फण्ड-फ्लो</u>**- योजना तैयार किये जाने हेतु क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों को धन की उपलब्धता के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार पूर्व वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक अनुदान की जानकारी दे सकती है, यदि किसी कारण जानकारी प्राप्त नही होती है तो पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि के आधार पर उतनी ही धनराशि की योजना बना सकते है। राज्य द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से निर्धारित समयावधि में क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों को धनराशि अन्तरित की जाये जिसके द्वारा वे धन की प्राप्तियों और व्यय दोनों की निगरानी हो सके।
- **<u>जनपद एवं क्षेत्र स्तर पर समन्वय व्यवस्था:-</u>** समन्वय का कार्य जनपद स्तर पर जिला समन्वय समिति द्वारा तथा क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड स्तरीय समन्वय समितियों के माध्यम से किया जायेगा। समितियों का विवरण **बिन्दु संख्या-9** पर दिया गया है। समितियों के कार्य का विवरण मार्ग-निर्देशिका पर वर्णित है।
- **<u>मानव संसाधन सहयोग:-</u>** योजना निर्माण संबंधी निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मानव संसाधन सहायता की आवश्यकता होगी:-
  - o क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
  - o स्थिति विश्लेषण
  - o तकनीकी और प्रशासनिक मूल्यांकन व अनुमोदन
  - o कार्यान्वयन
  - o अनुश्रवण

  उक्त मानव संसाधन को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:-

  - o तकनीकी मूल्यांकन व सहायता दल

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- राज्य स्तरीय प्रमुख संसाधन टीम, जिला संसाधन समूह
- सुविधा प्रदाता
- योजना के लिए जिला व खण्ड स्तरीय कोर समूह
- प्रभारी अधिकारी
- सूचना एवं प्रलेखन विशेषज्ञ की तैनाती

5- क्षेत्र एवं जिला विकास योजना प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन

क्षेत्र पंचायत स्तर पर क्षेत्र विकास योजना का अनुमोदन क्षेत्र पंचायत की बैठक में एवं जिला स्तर पर जिला विकास योजना का अनुमोदन जिला पंचायत की बैठक में किया जायेगा। विभिन्न श्रेणियों के परियोजनाओं के लिए आंकलन व तकनीकी स्वीकृति प्रचलित शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

6- क्षेत्र एवं जिला विकास योजना के लिए समय सीमा

प्रत्येक वर्ष योजना तैयार करने का अभियान राज्य सरकार स्तर से प्रारम्भ किया जायेगा, समय-सीमा निर्धारित की जायेगी तथा अभियान के दौरान का समय के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करेगी। क्षेत्र तथा जिला विकास योजना की अनुमानित समय-सीमा इस प्रकार हो सकती है-

क्षेत्र विकास योजना के लिए अनुमानित समय-सीमा	माह नवंबर से 31 जनवरी तक
जिला विकास योजना के लिए अनुमानित समय-सीमा	माह दिसंबर से फरवरी अंत तक

7- क्षेत्र एवं जिला विकास योजना सम्बन्धी जरुरतों की पहचान व प्राथमिकता निर्धारण

ब्लाक पंचायत एवं जिला पंचायत स्तरों पर मिशन अन्त्योदय डेटा व जी0पी0डी0पी0 को समेकित कर क्षेत्रों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पहचान की जाए। जी0पी0डी0पी0 में जिन गतिविधियों को सम्मिलित नही किया जा सका है उनको क्षेत्र विकास योजना (बी0डी0पी0**)** में समायोजित किया जाए। इसी प्रकार बी0डी0पी0 से अवशेष आवश्यक गतिविधियों को जिला विकास योजना (डी0डी0पी0) में सम्मिलित कर समस्याओं का समाधान किया जाए।

प्राथमिकता का निर्धारण

सर्वांगीण विकास के लिए संविधान की 11वीं सूची में सम्मिलित 29 विषय पंचायतों के अनिवार्य कार्यों का हिस्सा है। ग्राम पंचायतें अपनी सीमित क्षमता और संसाधनों की मदद से जी0पी0डीपी0 के जरिए इन क्षेत्रों में कार्य कर रही है। क्षेत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पंचायत व जिला पंचायतों द्वारा विकास योजनाएं बनाते समय कार्यों की प्राथमिकता के निर्धारण हेतु निम्न प्रयास किए जाय:-

1. क्षेत्र में स्थिर विकास लक्ष्यों, संकेतांको एवं बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दिया जाए।

2. एक ही कार्य को दो बार या दो संस्थाओं द्वारा करने से बचाव हेतु क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों को जी0पी0डी0पी0 में सभी सम्बद्ध कार्यों को पूर्ण होने का अनुश्रवण किया जाना चाहिए। इसके उपरान्त ही अपनी परियोजना तैयार किया जाए।

3. कार्यों के प्राथमिकीकरण में साफ-सफाई, पेयजल संसाधन, आजीविका को सशक्त बनाने, कृषि योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, समेकित बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आदि योजनाओं पर विचार करते हुए इकाई के विस्तार में कार्य करने महिला व बाल विकास पुष्टाहार की परियोजनाओं को सम्मिलित करने सामुदायिक संचालन विकास योजना की भागीदारी में प्राप्त सुझावों को सम्मिलित कर एवं प्राकृतिक संसाधनों और रख-रखाव को ध्यान में रखकर परियोजनाएं तैयार की जा सकती है।

4. सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु अनुसूचित जातियों, जनजातियों, वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों जैसे समाज के सबसे कमजोर वर्गों के कल्याण के मुद्दों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

5. क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत विकास योजना बनाते समय स्त्री पुरुष समानता के मुद्दों पर ध्यान दिया जाए।

8- <u>क्षेत्र एवं जिला विकास योजना के कार्यक्रमों व योजनाओं का सामाजिक ऑडिट-</u>

कार्यक्रम व योजनाएं लागू करने में क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक छः माह में सामाजिक ऑडिट आयोजित कराया जाए। कार्यक्रम व योजनाओं से जुड़ी समस्त सूचना सामाजिक ऑडिटर की सुविधा के लिए उपलब्ध करायी जाए। सामाजिक आडिट में विभिन्न कार्यक्रमों के वित्तीय रिकार्ड व अन्य अभिलेख, कार्य स्थलों, सुविधाओं व सेवाओं का मूल्यांकन किया जायेगा।

मूल्यांकन प्रक्रिया के निष्कर्षों पर चर्चा एवं पारदर्शिता तथा जवाबदेही सम्बन्धित शिकायतों की समीक्षा के लिए क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की बैठक की जाए। सामाजिक आडिट रिपोर्ट क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए। विकास खण्ड/जिला सभाओं के प्रारम्भ में आडिट के रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई जाए।

9- <u>क्षेत्र एवं जिला विकास योजना हेतु राज्य, जिला एवं क्षेत्र स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्यव समितियों का विवरण</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क- <u>राज्य स्तर पर गठित अधिकारिता समिति-</u>

क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत विकास योजनाओं के कार्यान्वयन व योजना के अभिसरण व अन्तर्विभागीय समन्वय का कार्य शासनादेश संख्या:- 1824(1)/33-3-2015-10जी.आई/ 2015 दिनांक 26 जून, 2015 द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) के कार्यान्वयन हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 09 सदस्यीय ''हाई पावर कमेटी'' के स्तर से किया जायेगा।

समिति का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र0सं0	समिति के सदस्य	पदनाम
1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
8	आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
9	निदेशक, पंचायती राज विभाग	सदस्य सचिव

ख- जनपद स्तर पर गठित जिला पंचायत योजना समिति-

जिला विकास योजना की तैयारी तथा योजना से सम्बन्धित सभी कार्यों के निष्पादन के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला पंचायत योजना समिति गठित की जाएगी, यह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व निगरानी में भी सहयोग देगी। जिला पंचायत योजना समिति की संरचना निम्नवत् है:-

क्र0सं0	समिति के सदस्य	पदनाम
1	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	जिला पंचायत के स्थाई समिति के अध्यक्ष	सदस्य
3	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	सदस्य
4	पांच ग्राम पंचायतों के पांच प्रधान	सदस्य

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
6	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
7	संभागीय वन अधिकारी	सदस्य
8	एन0आर0एल0एम0 के प्रतिनिधि	सदस्य
9	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
10	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
11	कृषि उत्पाद विपणन समिति के अध्यक्ष	आमंत्रित सदस्य
12	जिला लीड बैंक प्रबन्धक	आमंत्रित सदस्य
13	एक स्वच्छता विशेषज्ञ	आमंत्रित सदस्य
14	अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर	आमंत्रित सदस्य
15	अपर मुख्य अधिकारी	सदस्य सचिव

योजना समिति का कार्यकाल जिला पंचायत की प्रशासन इकाई की कार्य अवधि के समान होगा। योजना समिति के कार्य निम्नवत् है:-

- जनपद में लम्बी अवधि की विकास योजना तैयार करने में जिला पंचायत और क्षेत्रीय कार्य समूहों की सहायता करना, जिला विकास योजना तैयार करना।
- क्षेत्र के विकास के लिए सार्थक विचार-विमर्श को बढ़ावा देना। परियोजनाओं की तैयारी में क्षेत्रीय कार्य समूहों की सहायता प्रदान करना।
- योजना समय सीमा के अनुसार गतिविधियां तय करने में समन्वय बनाना। जिला पंचायत को कार्य समूह गतिविधियों के समन्वय में सहयोग देना।
- परियोजना तैयारी के लिए समुचित अध्ययन सुनिश्चित करना। बैंकों और सरकारी संस्थाओं के विचार-विमर्श का समुचित मंच उपलब्ध कराना।

ग- <u>विकास खण्ड स्तर पर गठित क्षेत्र पंचायत योजना समिति-</u>

क्षेत्र पंचायत विकास योजना की तैयारी तथा योजना से सम्बन्धित सभी कार्यों के निष्पादन के लिए क्षेत्र पंचायत प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत योजना समिति गठित की जाएगी, यह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व निगरानी में भी सहयोग देगी। क्षेत्र पंचायत योजना समिति की संरचना निम्नवत् है:-

क्र0सं0	**समिति के सदस्य**	**पदनाम**
1	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	अध्यक्ष
2	उप क्षेत्र पंचायत प्रमुख	उपाध्यक्ष
3	विकास खण्ड की पांच ग्राम पंचायतों के पांच प्रधान	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	विकास खण्ड स्तर पर जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचित प्रतिनिधि	सदस्य
5	क्षेत्र पंचायत के स्थाई समिति के अध्यक्ष	सदस्य
6	फारेस्ट रेन्ज आफीसर	सदस्य
7	एन0आर0एल0एम0 के प्रतिनिधि	सदस्य
8	कृषि प्रसार अधिकारी	सदस्य
9	कृषि उपज विपणन समिति अध्यक्ष	आमंत्रित सदस्य
10	विकास खण्ड के लीड बैंक प्रबन्धक	आमंत्रित सदस्य
11	एक स्वच्छता विशेषज्ञ	आमंत्रित सदस्य
12	अर्थशास्त्र का एक प्रोफेसर	आमंत्रित सदस्य
13	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

<u>समिति के उत्तरदायित्व</u>

- विकास खण्ड स्तर पर अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि विकास खण्ड स्तर के कार्यकर्ता क्षेत्र पंचायत द्वारा विकास योजना के लिये बुलाई गयी विभिन्न बैठकों में उपस्थित रहें और वर्तमान तथा अगले वर्ष की विकास की गतिविधियों की जानकारी दें।
- विकास खण्ड स्तर पर सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने के लिये प्रयासों को मज़बूत करना।
- विभिन्न केन्द्र तथा राज्य प्रायोजित और प्रमुख कार्यक्रमों के लिए संसाधनों और योजनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करना।
- क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक प्रबंध करना।
- कार्ययोजना क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर निर्णय लेना तथा समस्या का समाधान करना।
- योजना निर्माण हेतु आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- परियोजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन के बीच समयबद्ध समन्वय सुनिश्चित करना।
- विकास खण्ड स्तर पर योजना की तैयारी तथा क्रियान्वयन की निगरानी।
- क्षेत्र पचायत योजना की स्थिति, संबंधित मुद्दों और प्रयासों के बारे में जिला समन्वय समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा फीडबैक देना

10- <u>क्षेत्र एवं जिला विकास योजना के लिए संसाधन</u>

क्षेत्र एवं जिला विकास योजना को संचालित करने के लिए निम्न संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सामाजिक संसाधन	स्वयं सेवी संस्थायें, समुदाय आाधारित संगठन आदि।
मानव संसाधन	आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव संसाधन, एस0एच0जी0 समूह आदि।
प्राकृतिक संसाधन	भूमि, वन, जल, वायु एवं प्राकृतिक रुप से उपलब्ध सभी संशाधन।
वित्तीय संसाधन	केन्द्र एवं राज्य सरकार, ओ0एस0आर0 आदि से उपलब्ध धन के साथ-साथ अन्य विभागों के वित्तीय संसाधन, जिला पंचायत सी0एस0आर0 फण्ड, बैंक व अन्य स्रोतों से उपलब्ध संसाधन।

11- <u>क्षेत्र एवं जिला विकास योजना में लिए गए कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</u>

क्षेत्र एवं जिला पंचायतें अपनी वार्षिक कार्ययोजना भारत सरकार द्वारा विकसित एकीकृत एप्लीकेशन **ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (www.egramswaraj.gov.in)** पर अपलोड करेंगी तथा उसका तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर ई-ग्राम स्वराज-पी.एफ.एम.एस. इन्टीग्रेटेड सिस्टम से वर्क आई-डी के आधार पर भुगतान करेंगी।

कृपया उक्त वर्णित व्यवस्था अनुसार क्षेत्र एवं जिला पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के दीर्घ कालिक विकास को ध्यान में रखते हुए **"क्षेत्र तथा जनपद विकास योजना (Block and District Development Plan- BDDP)"** को तैयार करने हेतु उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक:- क्षेत्र तथा जिला विकास योजना तैयार किये जाने की मार्ग-निर्देशिका।</u>

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक- तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेरशित</u>

1. संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-एम-11015/365/2020-एफ0डी0 दिनांक-11.11.2020 के क्रम में।
2. सचिव वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/नगर विकास/ग्राम्य विकास विभाग/कृषि उ0प्र0 शासन।

5. विशेष सचिव एवं स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 षासन।

6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

7. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।

8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

9. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उ0प्र0।

10. समस्त प्रमुख क्षेत्र पंचायत, उ0प्र0।

11. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।

12. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

13. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, उ0प्र0।

14. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।

15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।